विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

4.1 यह बात स्वीकार की जाती है कि राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की आयोजना और विकास मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। समग्र राज्योन्मुख दृष्टिकोण के भीतर, राज्यों के आर-पार और राज्यों के भीतर ऐतिहासिक और विशेष कारणों से, कुछ क्षेत्रों की ओर केंद्रित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पड़ी। कुछ क्षेत्रों में अपनी अलग भू-भौतिकीय संरचना और अवस्थिति तथा सहवर्ती सामाजिक आर्थिक विकास संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के लोगों की बुनियादी जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र-विशिष्ट योजनागत कार्यनीति का कोर तत्व ऐसे सुविधाहीन क्षेत्रों को पूंजीगत निवेश के लिए निधियों के साथ लक्ष्य बना कर राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरक करना है। आयोग दसवीं योजना में क्षेत्र- दृष्टिकोण का समर्थन करना जारी रखेगा और इसका उद्देश्य योजना के विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ बनाना होगा। पिछड़े क्षेत्रों के लिए फोकसी विकास कार्यक्रमों से यह आशा की जाती है कि ये असंतुलनों को कम करने और इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में मदद करेंगे।

4.2 इस अध्याय में, हम ऐसे क्षेत्र विकास दृष्टिकोणों की दो मुख्य श्रेणियों को देखते हैं। पहले खण्ड में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण की रूप रेखा प्रस्तुत की गई है। दूसरे खण्ड में, पहाड़ी क्षेत्रों, पश्चिमी घाटों, सीमावर्ती क्षेत्रों तथा उड़ीसा के के.बी.के. क्षेत्र के लिए योजना आयोग द्वारा प्रशासित किए जा रहे विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए दसवीं योजना के दृष्टिकोण निर्दिष्ट किए गए हैं।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र

4.3 उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक दूसरे से सटे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के सात राज्य शामिल हैं। इसके अंतर्गत 255,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आता है जोकि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.7 प्रति शत बनता है। यह एक अलग भौगोलिक इकाई है जो देश के शेष भागों से एक संकीर्ण भू-गलियारे द्वारा जुड़ी हुई है। इसकी अठानवे प्रतिशत सीमाएं अन्य देशों के साथ हैं- उत्तर में भूटान और चीन, पूर्व में म्यांमार तथा दक्षिण और पश्चिम में बांग्ला देश। इस क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं में भारी अंतर है जिनमें असम में ब्रह्मपुत्र के मैदानों से लेकर अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय के द्विविभाजित पर्वत हैं। इसे मोटे तौर पर उत्तर-पूर्वी पहाडि.यों और द्रोणी क्षेत्रों (बेसिन) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जो कुल क्षेत्र का 65 प्रतिशत भाग है. ब्रह्मपुत्र वादी के अंतर्गत इस क्षेत्र का 22 प्रतिशत भाग आता है और मेघालय का पठार कुल क्षेत्र के 13 प्रति शत भाग में फैला है।

4.4 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या 38.4 मिलियन है जोकि देश की कुल जनसंख्या की लगभग 4 प्रतिशत है और इस क्षेत्र की जनसंख्या में 70 प्रति शत (26.6 मिलियन) जनसंख्या असम की है। 1991-2001 की अवधि के दौरान दशकीय वृद्धि दर 21.9 प्रतिशत रही है जोकि 21.34 की राष्ट्रीय औसत से मामूली अधिक है। अलग-अलग राज्यों में जनसंख्या वृद्धि (1991-2001) 21.34 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से ऊपर रही है, सिवाय त्रिपुरा और असम के। नागालैंड में जनसंख्या में 64.41 प्रतिशत की वृद्धि देश में सर्वाधिक है. असम को छोड़कर, प्रत्येक राज्य में जनजातीय लोगों की जनसंख्या लगभग 60 प्रतिशत है। असम में केवल 13 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या है। इस क्षेत्र में अत्यधिक जातीय विविधता है और इसकी पहाडियों तथा वादियों में आर्यन, द्रविडयन भारत-बर्मी, भारत-तिब्बती तथा अन्य जातियों के लोग रहते हैं।

4.5 विभाजन के सदमे, भौगोलिक अवस्थिति के साथ राजनीतिक विकास और विद्रोहों, परिवहन बाधाओं, प्राकृतिक आपदाओं आदि ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की प्रगति के रास्ते में रुकावट डाली है और देश के शेष भागों की तुलना में इस क्षेत्र का आर्थिक विकास धीमा रहा है। अधिकांश उत्तर-पूर्वी राज्य कई अन्य राज्यों की तुलना में नियोजित विकास प्रक्रिया में देर से शामिल हुए। विकास प्रयोजनों के लिए सिक्किम को भी उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अन्य राज्यों के बराबर माना जाता है। इसलिए आठवीं और नौवीं योजना अवधियों में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के आर्थिक विकास पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित

किया गया था और आधारिक संरचना की रुकावटों को दूर करने, न्यूनतम बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था करने और निजी निवेश के लिए एक समग्र वातावरण पैदा करने की ओर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया MÉÉÉ lÉÉ

4.6 इन प्रयासों के बावजूद इन राज्यों का हाल का विकास प्रदर्शन उत्साहवर्धक नहीं रहा है। 1993-94 से 1999-2000 की अवधि के दौरान, केवल त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक विकास हुआ। अन्य सभी राज्यों की विकास दरें अपेक्षाकृत कम रहीं।

4.7 उत्तर-पूर्व में स्थायी शांति के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार के लगातार प्रयासों और हाल ही के बेहतर सुरक्षा परिदृश्य ने इस क्षेत्र के तेजी से आर्थिक विकास की उम्मीदें जगाई हैं। इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास की गति तेज करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता 2001 में पहली बार स्थापित किए गए समर्पित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में दिखाई देती है जोकि केंद्र के विकास संबंधी प्रयासों को समन्वित और प्रोत्साहित करेगा।

4.8 राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार किए गए दसवीं पंच वर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में और अधिक मानव कल्याण के साथ आर्थिक विकास के उद्देश्य निर्दिष्ट किए गए हैं और यह मानव कल्याण पर्याप्त स्तर तक खाद्य और उपभोक्ता वस्तुओं की व्यवस्था करने, बुनियादी सामाजिक सेवाओं, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल और बुनियादी सफाई तक पहुँच प्रदान करने, सभी के लिए आर्थिक और सामाजिक अवसर मुहैया करने, असमानताएं कम करने, निर्णय करने में अधिक भागीदारी प्रदान करने के रूप में होगा। दृष्टिकोण पत्र में निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारों ने अपनी दसवीं योजना में प्राथमिकता-क्षेत्रों की पहचान की है, और केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों ने कार्यान्वयन के लिए अपनी क्षेत्रक कार्यनीतियां तैयार की हैं।

राज्य योजनाओं को केंद्रीय सहायता

4.9 इस क्षेत्र की विशेष समस्याओं को पहचानते हुए, उत्तर-पूर्वी राज्यों में राज्य योजनाओं को उल्लेखनीय स्तरों पर केंद्रीय सहायता, योजना की एक विशेषता रही है। विशेष श्रेणी राज्यों में भी केंद्रीय सहायता के प्रति व्यक्ति स्तर, देश के उच्चतम स्तरों में आते हैं और वस्तुतः यह उनके लिए अभीष्ट भी हैं। उदाहरणतया, वर्ष 2001-02 के लिए इस क्षेत्र में इन सभी राज्यों के लिए कुल मिला कर राज्य योजनाओं के लिए प्रति व्यक्ति केंद्रीय सहायता 1,546 रूपए थी जबकि पूरे देश के लिए कुल मिला कर यह सहायता 356 रुपए थी। इसके अतिरिक्त, कई विशेष व्यवस्थाएं और पहलें की गई हैं और इन्हें दसवीं योजना में कार्यान्वित किया जाएगा, जिनसे इस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी। इस संबंध में महत्वपूर्ण पहलों/अवस्थाओं का उल्लेख नीचे किया गया है-

उत्तर पूर्वी परिषद (एन.ई.सी.)

4.10 उत्तर पूर्वी परिषद (एन.ई.सी) की स्थापना क्षेत्रीय योजना और विकास के लिए अगस्त 1972 में एन.सी.ई. अधिनियम, 1971 के अधीन की गई थी (जिसका सचिवालय शिलांग में था). जिस संविधि के अधीन इसका गठन किया गया था, उसके उपबंध के अनुसार, इस परिषद की एक सलाहकार निकाय के रूप में परिकल्पना की गई है जिसे केंद्र तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के साझे हितों वाले विषयों पर चर्चा करने और अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक योजना, अंतरराज्य परिवहन और संचार, विद्युत तथा बाढ़ नियंत्रण आदि के क्षेत्रों में साझे हित वाले किसी विषय पर केंद्रीय/राज्य सरकारों को सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है। संतुलित विकास प्राप्त करने के लिए एन.ई.सी. इस क्षेत्र के एक से अधिक राज्यों के लिए साझे महत्व वाले विषयों के संबंध में सदस्य राज्यों के लिए एक क्षेत्रीय योजना तैयार कर सकती है, और योजना में शामिल परियोजनाओं/ स्कीमो की प्राथमिकताएं और इनका स्थान निर्दिष्ट कर सकती है।

4.11 एन.ई.सी. द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं राज्य एजेंसियों या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों/संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। एन.ई.सी. के कार्य तीन वर्गों में समूहित किए जा सकते हैं

क) क्षेत्रीय योजना
ख) ज़ोनल परिषद
ग) सुरक्षा

4.12 एन.ई.सी. अपना ध्यान एक क्षेत्रीय योजना विकास और एक जोनल परिषद के रूप में अपनी भूमिका पर केंद्रित करती चली आई है। एन.ई.सी. का नौवीं पंच वर्षीय योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 2, 450 करोड़ रू० था जो आठवीं योजना के 1,867.50 करोड़ रु. से लगभग 31 प्रतिशत अधिक है। नौवीं योजना के दौरान व्यय के वर्ष-वार व्योरे सारणी 4.1 में दिए गए हैं।

सारणी 4.1

नौवीं योजना के दौरान एन.ई.सी. के बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों तथा व्यय के वर्ष-वार ब्योरे

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान में उपयोग
1997-98	324.00	324.00	319.16	98.50
1998-99	440.00@	370.00	368.55	83.76
1999-2000	450.00	425.00	413.53	91.89
2000-01	450.00&	410.90	409.48	90.99
2001-02	450.00	450.00	414.82#	92.18
कुल	**2114.00**	**1979.90**	**1925.54**	**91.08**

टिप्पणी : *@ योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय 471 करोड़ रु० था.*
& योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय 415 करोड़ रु० था.
 # प्रत्याशित व्यय

स्रोत : योजना आयोग

4.13 सारणी 4.1 में देखा जा सकता है कि 2,450 करोड़ रुपए के सहमत परिव्यय की तुलना में नौवीं योजना अवधि के पांच वर्षों के लिए बजट में 2,114 करोड़ रु० का परिव्यय शामिल किया गया जोकि सहमत बजटीय परिव्यय से 13.7 प्रति शत कम है. इसके अतिरिक्त सारणी में दिए गए आंकड़ो से देखा जा सकता है कि बजट में दिए परिव्यय का उपयोग भी प्रदान की गई राशि से कम रहा है।

4.14 एन.ई.सी. की दसवीं योजना के लिए परिव्यय 3,500 करोड़ रु० नियत किया गया है। दसवीं योजना के लिए उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यनीति में पहले से चल रहे प्राथमिकता-प्राप्त निर्माण कार्यों को पूरा करने पर बल दिया जाएगा, बहुत बड़ी संख्या में छोटी परियोजनाएं तैयार करने के बजाय अंतराक्षेपण-क्षेत्रों पर बेहतर प्रभाव प्राप्त करने के लिए कुछ बड़ी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। स्कीमों को समेकित किया जाएगा, बेहतर मानीटरिंग की जाएगी और परियोजना कार्यान्वयन में सुधार किया जाएगा। इस क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए परिषद जिम्मेदार होगी और यह एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण के साथ परियोजना के वित्तीयन पर बल देना जारी रखेगी।

संसाधनो का अव्यपगमनीय केंद्रीय पूल

4.15 अक्तूबर 1996 में गुवाहाटी में प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसरण में केंद्र सरकार के सभी विकास मंत्रालयों /विभागों को योजना के लिए अपनी सकल वार्षिक बजटीय सहायता का कम से कम 10 प्रति शत उत्तरपूर्वी क्षेत्र में विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए नियत और खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। इस स्कीम के तहत, इस क्षेत्र के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रु० से अधिक राशि बजट में शामिल किए जाने की संभावना है।

4.16 यदि कोई मंत्रालय इस लक्ष्य को प्राप्त नही कर पाता तो 10 प्रतिशत मानदण्ड के संबंध में प्रयोग न किया गया हिस्सा अव्यपगमनीय केंद्रीय संसाधन पूल में समूहित किया जाता है जिसका सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आधारिक विकास परियोजना का वित्तपोषण करने के लिए पुनः उपयोग किया जाता है। यह दृष्टिकोण, उत्तर-पूर्व में केंद्रीय मंत्रालयों का योजनागत व्यय 1999-2000 में 6.25 प्रति शत से बढ़ा कर 2001-02 में 7.28 प्रतिशत करने में सफल रहा है। दसवीं योजना में केंद्रीय निधियों का प्रतिशत प्रवाह और बढ़ने की संभावना है।

4.17 पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान, बहुत बड़ी संख्या में विकास परियोजनाओं को इस पूल से सहायता दी गई है, जिसके लिए 1346.72 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है. जारी की गई निधियों के अलग-अलग ब्योरे सारणी 4.2 में दिए गए हैं।

सारणी 4.2

अव्यपगमनीय केंद्रीय संसाधन पूल से जारी की गई राज्यवार निधियां,

1998-99 से 2001-02 तक

राज्य	जारी की गई निधियां (करोड़ रु०)			
	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
अरुणाचल प्रदेश	15.00	19.65	43.96	74.24
असम	28.81	105.86	69.31	89.18
मणिपुर	20.34	121.67	23.85	18.56
मेघालय	8.79	3.00	32.63	22.39
मिजोरम	9.00	62.15	27.06	69.86
नागालैंड	20.01	44.08	15.91	52.16
सिक्किम	10.00	32.01	23.78	49.71
त्रिपुरा	10.00	22.50	67.08	115.71
उत्तरपूर्व और सिक्किम के लिए साझी	——	9.00	9.46	——
कुल	121.95	419.92	313.04	491.81

स्रोत : योजना आयोग

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग

4.18 नव स्थापित उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग (डी.ओ.एन.ई.आर) की भूमिका सहक्रिया उत्पन्न करने और केन्द्रीय एजेंसियों तथा राज्य सरकारों, दोनो के प्रयासों को समन्वित करके और परियोजनाएं पूरी करने के लिए अंतिम स्थल पर संसाधन संबंधी जरूरतों को पूरा करके कार्यक्रमों का एक स्थान पर मिलाप सुनिश्चित करने की होगी। यह विभाग विकास प्रक्रिया को तेजी प्रदान करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और लाभकारी रोजगार के लिए अवसर बढ़ाने, आधारिक संरचना को सुदृढ़ बनाने, विशेषकर संयोजकता और संचार को और इसी के साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

4.19 एक महत्वपूर्ण पहल प्रधान मंत्री का पैकेज है, जिस का पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है। इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता दर्शाते हुए पिछले पांच-छः वर्षों से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के तेजी से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधान मंत्रियों द्वारा घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं में अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित की जाने वाली विशिष्ट स्कीमें/कार्यक्रम भी शामिल थे। अभी हाल ही में 22 जनवरी, 2000 को प्रधान मंत्री ने शिलांग में उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक कार्य-सूची की घोषणा की थी। इस कार्यसूची में 28 कार्यक्रम/स्कीमें शामिल हैं।

4.20 वर्तमान अनुमानों के अनुसार इन कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए कुल 13,388.90 करोड़ रुपए की वित्तीय आवश्यकताएं हैं। पूरी वित्तीय आवश्यकता केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों के योजनागत /योजनेतर बजटों के जरिए तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा उत्तर पूर्वी विकास वित्तीय संस्थान (एन.ई.डी.एफ.आई) जैसे वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता द्वारा पूरी की जानी है। दसवीं पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों को पूरा करने के साथ यह आशा की जाती है कि इससे आधारिक संरचना संबंधी अंतर दूर होंगे, विशेषकर विद्युत, ग्रामीण आधारिक संरचना, सड़कों, वायु-मार्ग सम्पर्कों, बागबानी, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में और इससे सीमावर्ती व्यापार बढ़ाने तथा सुरक्षा मजबूत करने

के लिए अनुकूल वातावरण भी बनेगा। (*प्रधान मंत्री के पैकेट के संघटकों की प्रगति के ब्योरे वेबसाइट www.pmindia.nic.in में दिए गए हैं।*)

4.21 डी.ओ.एन.ई.आर. उत्तर पूर्व में सभी केंद्रीय पहल कदमियों और कार्यक्रमों को समन्वित करने के लिए भारत सरकार का अग्रणी विभाग है। दसवीं योजना में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भारत सरकार की कार्यनीति का ध्यान निम्नलिखित पर केंद्रित होगा।

(क) कार्यान्वयन में सुधार और परिणामों का बेहतर वितरण सुनिश्चित करना,

(i) सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य सूची का समय पर कार्यान्वयन।

(ii) चल रही केंद्रीय सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं को पूरा करना और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए परियोजनाओं को उचित प्राथमिकता प्रदान करना।

(iii) क्षेत्रगत विभागों/राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके नजदीकी मानीटरिंग तथा समीक्षाओं द्वारा पारदर्शिता तथा जवाबदेही के साथ परियोजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

(iv) आधारिक संरचना, विशेषकर संयोजकता और संचार को सुदृढ़ बनाना।

(ख) ऊर्ध्वगामी सहायता और नीतिगत समर्थन प्रदान करना

(i) क्षेत्र पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने की दृष्टि से समय-समय पर केंद्र और राज्यों की नीतियों की समीक्षा करना,

(ii) विकास प्रयासों में आने वाली नीतिगत रुकावटें दूर करने के लिए सहायता प्रदान करना,

(iii) वित्तीय संसाधन जुटाने में राज्यों के प्रयासों को सुविधाजनक बनाना,

(iv) अनिवार्य पूंजीगत निवेशों के लिए निधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, विशेष रूप से जहाँ लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए अंतिम छोर के अंतर दूर करने की आवश्यकता है।

(v) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से क्रेडिट प्रवाह को प्रोत्साहित करना,

(vi) इस क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के जातीय और सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए आमदनी बढ़ाने के लिए आर्थिक आधारिक संरचना का बेहतर उपयोग सहज बनाना।

(ग) क्षमता और जन सहभागिता को सुदृढ़ बनाना

(i) रोजगार के भारी अवसरों वाले उच्च विकास क्षेत्रकों में शिक्षित युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए क्षमता निर्माण और इन कार्यक्रमों में निजी क्षेत्रक भागीदारी को बढ़ावा देना,

(ii) परियोजना तैयार करने, उसका मूल्यांकन और मानीटरिंग करने में राज्य सरकार के कार्मिकों में क्षमता पैदा करना,

(iii) परियोजना तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने में लोगों की अधिक सहभागिता और भागीदारी सुनिश्चित करना,

(iv) भावी निजी क्षेत्रक निवेशकों के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं के जरिए जागरुकता पैदा करना।

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

4.22 राज्य में किसी क्षेत्र की आयोजना और विकास मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है, तथापि सरकार पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच.ए.डी.पी.) तथा पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यु.जी.डी.पी.) सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) आदि जैसे विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के जरिए इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित कर रही है. इन कार्यक्रमों के तहत किए गए राज्यवार आबंटन इस अध्याय के अंत में संलग्नक 4.1 और 4.2 में दिए गए हैं।

4.23 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम कुछ क्षेत्रों द्वारा उनकी अलग भू-भौतिकीय संरचना और अवस्थिति तथा सहवर्ती सामाजिक-आर्थिक विकास के कारण उत्पन्न उनके द्वारा झेली जा रही विशेष समस्याओं से निपटने के लिए तैयार किए गए हैं। विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के अधीन निधियां इस क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए हैं। इसलिए लोगों की बुनियादी जरूरतों और मौजूदा पर्यावरणीय तथा सामाजिक-आर्थिक कारणों को ध्यान में रखते हुए विशेष कार्यनीतियां तैयार की जाती हैं और स्कीमे बनाई जाती हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों का वर्गीकरण

4.24 एच.ए.डी.पी. के तहत क्षेत्रों की पहचान 1965 में राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति (एन.डी.सी.) ने की थी और डब्ल्यु जी.डी.पी. द्वारा लाभान्वित किए जाने वाले क्षेत्रों की सिफारिश इस प्रयोजन के लिए स्थापित की गई एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा 1972 में की गई थी. 2001 में उत्तरांचल राज्य बन जाने के बाद एच.ए.डी.पी./डब्ल्यु.जी.डी.पी. के अंतर्गत आने वाले नामित क्षेत्रों में शामिल हैं:

(क) असम के दो पहाड़ी जिले उत्तरी कददार और कर्बी एंगलांग।

(ख) पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का अधिकांश भाग.

(ग) तमिल नाडु का नीलगिरिस जिला।

(घ) डब्ल्यु.जी.डी.पी. के एक सौ उनस तालुक, जिनमें महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट (62 तालुक), कर्नाटक (40 तालुक), तमिल नाडु (25 तालुक) केरल (29 तालुक) तथा गोवा (3 तालुक) शामिल हैं।

वर्गीकरण के व्योरे इस अध्याय के संलग्लक 4.3 तथा 4.4 में दिए गए हैं।

दसवीं योजना में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4.25 एच.ए.डी.पी. का निधीयन 90:10 (केंद्र:राज्य) के आधार पर विशेष केंद्रीय सहायता (एस.सी.ए.) के माध्यम से जारी रहेगा। एस.सी.ए. को 60:40 अनुपात में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम /पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के बीच विभाजित किया जाएगा। पहले की योजना अवधियों के समान, एस.सी.ए. नामित क्षेत्रों में क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर, इन दोनों को समान महत्व देते हुए बांटी जाएगी। पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के मामले में मानदण्ड वही होगा किन्तु क्षेत्रफल के लिए महत्व 75 प्रति शत और जनसंख्या के लिए 25 प्रतिशत होगा।

4.26 पारिस्थितिकी-परिरक्षण तथा पारिस्थितिकी पुनः स्थापन के मुख्य उद्देश्य जारी रहेंगे, जिनमें समुदायों की जरूरतों और आकांक्षाओं को स्वीकार करते हुए जीव-विविधता के पोषणीय प्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। योजना दृष्टिकोण का उद्देश्य जीव-विविधता और पोषणीय आजीविकाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन में सामुदायिक सहभागिता को सहज बनाना होगा।

4.27 नौवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान दो कार्यक्रम (एच.ए.डी.पी. तथा डब्ल्यु.जी.डी.पी.) अलग-अलग तरीके से चलाए जा रहे थे। जबकि एच.ए.डी.पी. के तहत एक उप-योजना दृष्टिकोण अपनाया जा रहा था और लगभग सभी क्षेत्रकों को विशेष केंद्रीय सहायता से निधियां प्रदान की जा रही थी, किन्तु डब्ल्यु.जी.डी.पी. के मामले में वाटरशेड एप्रोच अपनाया गया और केवल थोड़े से अतिरिक्त क्षेत्रों/स्कीमों को निधियां प्रदान की गईं. जबकि डब्ल्यु.जी.डी.पी. दृष्टिकोण अपेक्षाकृत पारिस्थितिकीय विकास के अनुरूप रहा है, किंतु एच.ए.डी.पी. राज्यों से उप-योजना में पारिस्थितिकीय परिरक्षण और पुनः स्थापन स्कीमों को शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

4.28 असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेष केंद्रीय सहायता का वेतन के भुगतान/योजनेतर स्वरूप के अन्य खर्चों के लिए प्रयोग धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाना चाहिए और पर्यावरण परिरक्षण और पुनः स्थापन के लिए स्कीमे शुरू की जानी चाहिएं ताकि वर्ष 2003-04 तक वेतन/स्थापना व्यय घटकर 20-25 प्रतिशत तक आ जाए और पारिस्थितिकीय परिरक्षण और इन क्षेत्रों की नाजुक पारिस्थितिकी प्रणाली बहाल करने वाली स्कीमों में उसी अनुपात से वृद्धि की जाए।

4.29 दसवीं योजना के दौरान एच.ए.डी.पी./डब्ल्यु.जी.डी.पी. के जिन क्षेत्रों पर बल दिया जाएगा वे इस प्रकार हैं:

(क) जल-संभर (वाटरशेड) विकास

(ख) भागीदारी दृष्टिकोण

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों के अनुकूल प्रौद्योगिकियों की अभिनव स्कीमें

(घ) जीव-विविधता संरक्षण स्कीमें

(ङ) आमदनी जुटाने वाली स्कीमें

(च) अंतर-पूरक आधारिक संरचना

(छ) अनुरक्षण

4.30 दसवीं योजना में, राज्य सरकारें वार्षिक आबंटन की 15 प्रति शत राशि एच.ए.डी.पी. क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों के रख-रखाव पर खर्च कर सकती हैं।

दसवीं योजना में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4.31 यह कार्यक्रम दसवीं योजना में एक अलग कार्यक्रम के रूप में जारी रहेगा और यह उन सभी राज्यों के सीमावर्ती ब्लॉकों में चलता रहेगा जिनकी अंतराष्ट्रीय भू-सीमाएं हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से दूरस्थ और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के नजदीक स्थित दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विशेष जरूरतें पूरी करने पर बल दिया जाता रहेगा।

4.32 इस कार्यक्रम के तहत विशेष केंद्रीय सहायता 100 प्रति शत अनुदान के रूप में दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई, सीमावर्ती ब्लाकों का क्षेत्रफल और सीमावर्ती ब्लाकों की जनसंख्या का मौजूदा मानदण्ड (प्रत्येक को समान महत्व देते हुए) बी.ए.डी.पी. राज्यों में निधियां विभाजित करने का आधार होगा।

4.33 इस कार्यक्रम के तहत स्कीमे इस प्रकार तैयार की जाएंगी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा उठाई जा रही विशेष समस्याओं का ध्यान रखा जा सके। क्षेत्र के समग्र संतुलित विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक सीमावर्ती ब्लॉक के लिए एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्यगत योजना बनाई जाएगी। लोगों की आवश्यकताओं तथा भौतिक और सामाजिक आधारिक संरचनाओं में क्रांतिक अंतरों का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकारों को सीमावर्ती ब्लाकों में दूरस्थ गांवों का अध्ययन करना चाहिए. रोजगार के अवसर पैदा करने की स्कीमों, उत्पादन-प्रधान क्रियाकलापों तथा सामाजिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण निवेश प्रदान करने वाली स्कीमों का पता लगाने की भी आवश्यकता होगी।

4.34 इस कार्यक्रम के तहत छोटी पुलियों, पुलों, अश्व-पथों तथा सम्पर्क (फीडर) मार्गों का निर्माण करने के साथ-साथ सीमावर्ती ब्लाकों में सुरक्षा संबंधी स्कीमें और अध्यापकों, डाक्टरों, नर्सों आदि जैसे महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए मकानो का निर्माण-कार्य भी शुरू किया जाना चाहिए। कुल आवंटन की 15 प्रति शत तक राशि इस कार्यक्रम के तहत पहले से निर्मित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव पर खर्च की जा सकती है। आशा की जाती है कि बी.ए.डी.पी. से दसवीं योजना के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विकास संबंधी विशेष जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगीर तथा कोरापुट (के.बी.के.) क्षेत्र का विकास

4.35 के.बी.के. क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में स्थित मूल कालाहांडी, बोलनगीर तथा कोरापुट के जिले आते हैं. इन तीन जिलों का 1992-93 से आठ जिलों में पुनर्गठन किया गया है, जिनके नाम हैं- कालाहांडी, नुआपाड़ा, बोलनगीर, सोनपुर, कोरापुट, नबारंगपुर, मल्कानगिरी और रायागाड़ा और इनमें 80 ब्लाक, 1,171 ग्राम पंचायतें तथा 12,104 गांव हैं। इस क्षेत्र में गरीबी के उच्च स्तरों और इसके परिणाम स्वरूप जहाँ के लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभावों के कारण यह क्षेत्र आकर्षण का केंद्र बन गया है।

4.36 राज्य सरकार ने कुल 6,061.83 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक दीर्घकालिक कार्य योजना (एल.टी.ए.पी.) (1998-99 से 2006-07) तैयार की थी, जिसमें केंद्रीय योजना और विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमे शामिल थीं, जैसाकि कृषि, बागबानी, जल-संभर विकास, वनरोपण, सिंचाई, स्वास्थ्य, पेय जल, आपातकालीन पोषण, अनु. जातियों/अनु. जन जातियों का कल्याण और ग्रामीण संयोजकता। क्रांतिक अंतरों को दूर करने के लिए योजना आयोग द्वारा के.बी.के. जिलों को 1998-99 से 2001-02 तक 243.95 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता आबंटित की गई, तथापि इस अतिरिक्त राशि के अलावा, इन जिलों को मिलने वाली अन्य अधिकांश निधियों में केवल केंद्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के तहत मिलने वाली सामान्य निधियां ही शामिल थीं।

4.37 अतः यह निर्णय किया गया कि यदि इन जिलों के लोगों की रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार करना है तो और अधिक सहयोजित प्रयास करने होंगे। के.बी.के. जिलों के विकास के प्रति अपेक्षाकृत अधिक साकल्यवादी दृष्टिकोण अपनाने और सूखा रोकने की बुनियादी समस्याओं का समाधान तथा सुविधाहीन समूहों तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को सहायता देने के लिए, राज्य सरकार से क्रांतिक क्षेत्रों के लिए एक परियोजनाकृत्त योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया. उड़ीसा सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 के लिए तैयार की गई वार्षिक योजना में विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में 200.00 करोड रुपए और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केंद्रीय ऋण सहायता के रूप में 164.69 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रकों पर बल दिया गया: (i) सूखा रोधन (मृदा और जल संरक्षण, वनरोपण, सिंचाई और पेय जल); (ii) आजीविका सहायता (कृषि, बागबानी, पशु पालन, मछली पालन, कृषि व्यापार, कृषि-बाजार, हथकरघा और रेशम कीट पालन); (iii) सुविधाहीन समूहों के लिए सहायता (विशेष पोषण कार्यक्रम, आपातकालीन भोजन, जनजातीय विकास और महिलाओं के स्व-सहायता समूह); (iv) स्वास्थ्य; (v) ग्रामीण संयोजकता तथा (vi) प्रशासनिक सहायता।

4.38 दसवीं योजना अवधि के दौरान के.बी.के. जिलों के लिए विशेष योजना को विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि स्कीमों की भौतिक और वित्तीय प्रगति संतोषजनक हो. मुख्य उद्देश्य, पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन के साथ-साथ परियोजना-आधारित दृष्टिकोण अपनाना तथा स्थानीय भागीदारी प्राप्त करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फील्ड स्तर पर परिणाम समय-बद्ध तरीके से स्पष्ट दिखाई दें।

संलग्लक 4.1

नौवीं योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अधीन विशेष केंद्रीय सहायता का आबंटन

(करोड़ रु०)

राज्य/क्षेत्र	नौवीं योजना				
	1997-98	**1998-99**	**1999-00**	**2000-01**	**2001-02**
(क)राज्यों में पहाड़ी क्षेत्र :					
असम	46.32	50.16	50.90	50.90	51.11
तमिलनाडु	19.62	21.70	22.01	22.01	22.10
उत्तर प्रदेश	217.07	237.41	240.86	250.86	0.00&
पश्चिम बंगाल	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23
सर्वेक्षण तथा अध्ययन	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
उप-जोड (क)	**305.49**	**331.50**	**336.00**	**336.00**	**95.54**
(ख) पश्चिमी घाट क्षेत्र					
केरल	9.46	11.91	13.08	13.08	13.13
महाराष्ट्र	15.17	19.11	20.97	20.97	21.06
तमिलनाडु	7.91	9.97	10.94	10.94	10.99
कर्नाटक	11.22	14.13	15.51	15.51	15.57
गोवा	2.32	2.95	3.20	3.20	3.21
सर्वेक्षण और अध्ययन	0.28	0.26	0.12	0.12	
पश्चिमी घाट क्षेत्र	0.15	0.17	0.18	0.18	0.50*
उप-जोड़ (ख)	46.51	58.50	64.00	64.00	64.46
कुल जोड़ (क +ख)	352.00	390.00	400.00	400.00	160.00

& : 2001-2002 से एच.ए.डी.पी. से निकाल दिया गया है.

** : सर्वेक्षण और अध्ययनों सहित*

स्रोत : योजना आयोग

संलग्नक 4.2

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम : नौवीं योजना के दौरान आबंटन/जारी की गई राशियां

(करोड़ रू०)

		1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02
	राज्य	आबंटन	जारी राशि	आबंटन	जारी राशि	संशैधित	जारी राशि	आबंटन	जारी राशि	आबंटन
1.	असम	4.12	2.06	4.27	4.27	7.20	7.20	7.48	3.74	7.48
2.	गुजरात	8.58	8.58	8.88	8.88	9.87	9.87	10.26	10.26	10.26
3.	जम्मु-कश्मीर	20.68	10.34	31.38	31.38	33.52	33.52	34.85	39.65	34.85
4.	मोघालय	3.95	3.95	4.11	4.11	4.52	4.52	4.70	4.70	4.70
5.	मिजोरम	6.73	6.73	6.82	6.82	8.00	8.00	8.32	12.32	8.32
6.	पंजाब	8.54	8.54	8.82	7.72	9.70	9.70	10.08	14.08	10.08
7.	राजस्थान									
i)	फार्मूला	25.63	25.63	26.52	26.52	29.17	29.17	30.32	30.32	30.32
ii)	आई..जी.एनपी.	60.00	60.00	30.00	30.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
8.	त्रिपुरा	10.96	10.96	11.34	11.34	12.47	12.47	12.96	12.96	12.96
9.	पश्चिम बंगाल	30.81	15	31.86	29.38	38.05	38.05	39.56	37.99	39.56
10.	अरूणाचल	4.00	4.00	11.00	11.00	13.00	13.00	13.51	6.75	13.51
11.	मणिपुर	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.16	4.16	4.16
12.	नागालैंड	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.16	4.16	4.16
13.	हिमाचल	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.16	8.16	4.16
14.	सिक्किम	0.00	0.00	4.00	4.00	5.50	5.50	5.72	4.63	5.72
15.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	4.00	4.00	12.00	12.00	8.32	8.32	8.32
16.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	4.16
17.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.28	3.64	7.28
	कुल	**196.00***	**163.79**	**195.00**	**191.52**	**210.00**	**210.00**	**210.00**	**210.00**	**210.00****

टिप्पणी :

* 1997-98 : 4 करोड़ रुपए म्यांमार सीमावर्ती राज्यों के लिए अनाबंटित छोड़ दिए गए.

** वास्तविक = 240.00 करोड़ रुपए

स्रोत : योजना आयोग

संलग्नक 4.3

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम : नामित पहाड़ी क्षेत्र

राज्य	जिला	क्षेत्रफल (००० वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या (जनगणना) (लाख में)
पहाड़ी क्षेत्र			
असम	उत्तरी कछार	4.88	6.30
	कर्बी एंगलांग	10.33	
तमिल नाडु	नीलगिरिस	2.54	6.29
पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग जिले का सरदार, कुर्सियंग और कलिम्सपांग का सब-डिवीजन	2.42	5.51
कुल		**20.17**	**18.10**

स्रोत : योजना आयोग

संलग्नक 4.4

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए तालुकों की सूची (अद्यतन)

राज्य	जिला	(तालुकों की सं०)	क्षेत्रफल (000 वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या (1981 जनगणना) लाख में
पश्चिमी घाट				
महाराष्ट्र				
	धूले	2	3.32	4.30
	नासिक	8	9.52	17.28
	थाने	5	4.71	5.56
	रायगढ़	7	-	-
	रत्नागिरी	5	5.43	8.33
	सिंध दुर्ग	5	3.66	5.29
	कोल्हापुर	10	7.09	18.26
	सांगली	1	0.64	1.11
	सतारा	8	6.75	12.87
	पुणे	9	9.81	16.09
	अहमद नगर	2	3.17	4.56
कर्नाटक				
	बेलगांव	5	6.45	14.88
	चिकमगलूर	5	4.41	4.08
	कोडागु	3	4.08	4.60
	धारवाड	1	1.08	1.60
	हसन	5	3.14	5.94
	मैसूर	1	2.79	3.40
	नार्थ कानड़ा	9	8.64	8.81
	शिमोगा	5	6.59	8.32
	डी.कानडा	3	-	-
	उडुपी	2	-	-
	चमराजनगर	1	-	-
केरल				
	कन्नूर	2	-	-

संलग्नक 4.4 जारी

राज्य	जिला	(तालुकों की सं०)	क्षेत्रफल (000 वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या (1981 जनगणना) लाख में
	वायानाड	3	2.12	5.54
	कोजिकोडे	3	2.33	22.45
	माल्लापुरम	4	-	-
	त्रिशूर	1	1.32	6.74
	इरनाकुलम (कोचीन)	3	1.68	7.91
	इड्डुकी	4	5.13	9.71
	कोट्टायम	2	1.07	9.60
	कोल्लम	3	-	-
	तिरूवनंथपुरम	2	1.50	11.68
	कसारा गोडे	1	-	-
	पठनमथिटा	3	-	-
तमिलनाडु				
	कोयम्बटूर	7	5.92	24.65
	इरोडे	2	2.21	4.12
	मदुरई	1	8.22	22.27
	तिरूनावेली	7	5.41	15.81
	कन्याकुमारी	4	1.67	14.24
	डिंडीगुल	3	-	-
	ठेनी	3	-	-
	विरूधु नगर	3	-	-
गोवा				
	गोवा	3	1.72	1.33
कुल			131.58	301.33

स्रोत : योजना आयोग